

21/9/19

R.C
21/9/19

पत्रांक :- 3/यो01-16/2019 (उ0शि0) /
झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक /

CCDC/PO

विषय:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 307/बजट दिनांक 06.09.2019 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है ।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की निम्नांकित शीर्ष :-

"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा ।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे ।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पी0 एल0 खाता में राशि अंतरित की जाएगी ।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय ।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा ।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 307/बजट दिनांक 06.09.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

H0/-

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

21/9/19

187

0

ज्ञापांक-3/यो01-16/2019 (उ0शि0)/रॉची, दिनांक-/2019
प्रतिलिपि - महालेखाकार, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा,
रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-16/2019 (उ0शि0) 31/08/2019 /रॉची, दिनांक- 12/09/2019

प्रतिलिपि - विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन
निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कूलसचिव, रॉची
विश्वविद्यालय, रॉची/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च
शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8

12.09.19

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-16/2019/310/BUDGET

दिनांक - 12-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूर्वी परिसम्पत्ति के सुजन हेतु अनुदान State Scheme	57739	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	10,000,000.00 रुपये एक करोड



State Scheme :
Central Scheme :

GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT(1628)

योग:

10,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड

Jushant Gaurav

S. V. A. V. S.
7/9/19

307/944

दिनांक - 7/9/2019 (सोमवार)

आरक्षण संयोजक

राज्य सार्वजनिक शिक्षा एवं कोशल विकास विभाग

राज्य शिक्षा प्रसारण

अनुसूचित रूप से
 परामर्शिका

प्रश्नक

श्री. जय शंकर मिश्र
 राज्य सरकार के प्रधान सचिव
 राज्य सार्वजनिक शिक्षा एवं कोशल विकास विभाग
 शासनालय, दिल्ली

समा में

महालेखाकार,
 पाठ-विद्यु
 आरक्षण संयोजक

संज्ञी, दिनांक 06/09/2019

विषय:-

श्री. वी. विश्वविद्यालय, श्री. अंतर्गत Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए ₹0 2,35,71,000/- (दो करोड़ पैंतीस लाख एकहत्तर हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश -

श्री. वी. विश्वविद्यालय, श्री. अंतर्गत Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए ₹0 2,35,71,000/- (दो करोड़ पैंतीस लाख एकहत्तर हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

1. आरक्षण संयोजक आरक्षण विकास के साथ अदिवासी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय एवं जनजातीय भाषाओं में सार्वजनिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना प्रमुख है।

2. विश्वविद्यालय एक समापत्तशीली संस्था है। अतः आवश्यकतागुरुक योजनाओं का क्रमबद्ध रूप में विभागीय विचारविचार करने हैं।

3. श्री. वी. विश्वविद्यालय, श्री. द्वारा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभाग के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु डी0पी0आर0 का निर्माण करने का अनुरोध प्रबंध निदेशक, आरक्षण राज्य मदन रिगॉण नियम लिमिटेड, श्री. के अधीन पत्रांक 191-193 दिनांक 09.05.2019 द्वारा किया गया था।

4. आरक्षण राज्य मदन निर्माण नियम लिमिटेड, श्री. के पत्रांक 1705 (नि0) दिनांक 20.06.2019 द्वारा श्री. वी. विश्वविद्यालय, श्री. अंतर्गत Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए लागू डी0पी0आर0 पर Estimate No. 206/T.A./RU/JSBC/CL/2019-20 दिनांक 20.06.2019 द्वारा ₹0 2,46,47,500/- का तकनीकी अनुमान प्रदान कर डी0 पी0 आर0 समर्पित किया गया। डी0 पी0 आर0 पर Presentation के रूप में सुझाव दिया गया कि लिफ्ट के प्रावधान को समाप्त प्रस्ताव में हटा दिया जाय। तदनुसार पुनः वास्तुविद द्वारा संशोधित डी0 पी0 आर0 प्रस्तुत किया गया जिसके आलाक में उपरोक्त योजना की अनुमानित लागत ₹0 2,35,71,000/- (दो करोड़ पैंतीस लाख एकहत्तर हजार) रुपये मात्र अंकित की गयी है।

5. तकनीकी अनुमान का अनुकूल संशोधित प्रावधान के आलाक में Renovation of Centre for Regional and Tribal Languages के लिए ₹0 2,35,71,000/- (दो करोड़ पैंतीस लाख एकहत्तर हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. दिनांक 03/09/2019 में राज्य सार्वजनिक शिक्षा एवं कोशल विकास के अंतर्गत उपशीर्ष-135-शिक्षा विभाग एवं महाविद्यालय के अंतर्गत सार्वजनिक विकास हेतु सहायता अनुदान, लघुशीर्ष 107-शिक्षा विभाग का महाविद्यालय में 65.00 करोड़ (पैंतीस करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष 750-जनजातीय और उपशीर्षका मद में 60.00 करोड़ (साठ करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹0 125.00 करोड़ का बजट उपलब्ध प्राप्त है।

7. फाइल-5 में अंकित शशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्कीम के निम्नांकित शीर्ष- मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्रीय उपशीर्षका, उप शीर्ष-135- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-08 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विषय संज्ञा-2152202027901150678) (स्कीम कोड-1528) के अंतर्गत होगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक-3520, दिनांक 11.12.07 में प्रस्तावीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सगन्ध विभाग आरक्षण के अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलाक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग का प्रवर्त शक्ति के अधीन है।

9. इस गैर म विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत आदेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
	रुपय	शून्य

10. वित्त विभाग के संकल्प क्रमांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु आदेश पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड रॉंची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, झारखण्ड, रांची से राशि को निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्राथमिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चलान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेगे।

12. रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुरागत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से एक माह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण प्रोग्राम लिमिटेड, रॉंची के पी0 एल0 खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

13. एवं उपरोक्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग का संकल्प उपलब्ध कराया जाय।

14. महालेखाकार का कार्यालय, अकाउंट्स/वित्त (अकेसिंग) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अकाउंट्स का अभिकार होगा।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री एस0 कं0 गुप्ता, संयुक्त सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

S.L.W

6/9/19

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक 3/वी.1-16/2019 (उ0शि0)

307/1982

/रॉंची, दिनांक-

06/09/2019

प्रतिनिधि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, झारखण्ड, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, शिक्षा कोषागार, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S.L.W

6/9/19

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक-3/वी.1-16/2019 (उ0शि0)

307/1982

/रॉंची, दिनांक-

06/09/2019

प्रतिनिधि - विभागीय सचिव के प्रधान आर्थ सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण प्रोग्राम लिमिटेड, रॉंची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आर्थ सचिव/कुलसचिव, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S.L.W

6/9/19

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 02.03.2020

विषय:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत पी0 पी0 के0 कॉलेज, बुण्डू के
आधारभूत संरचना का विकास हेतु रू0 9,91,85,000/- (नौ करोड़
एकानवे लाख पचासी हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के
विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 7,00,00,000/- (सात करोड़ रुपये)
मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 421/बजट दिनांक 25.02.2020 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत पी0 पी0 के0 कॉलेज, बुण्डू के आधारभूत संरचना का विकास हेतु रू0 9,91,85,000/- (नौ करोड़ एकानवे लाख पचासी हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 7,00,00,000/- (सात करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की निम्नांकित शीर्ष :-

" मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता संख्या -8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 421/बजट दिनांक 25.02.2020 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री दिगेश्वर तिवारी, अपर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/-


(सुशांत गौरव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-19/2017 (उ0शि0)/राँची, दिनांक-...../2020
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुशांत गौरव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-19/2017 (उ0शि0)422/9445/राँची, दिनांक-.....02/03/2020
प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित एवं श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


02.03.20
(सुशांत गौरव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu

चाहू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है


पत्र संख्या - 3/YO.1-19/2017/422/BUDGET

दिनांक - 02-Mar-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	89081	DRNEDN046 SRI DHARMRAJ MAHTO UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	70,000,000.00 रुपये सात करोड



State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE
Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)



योग:

70,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड

Sushant Gaurav

(SUSHANT GAURAV)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

पत्रांक :-3/यो.1-01/2016 (उ0शि0) 427 / 902

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

S. V. V. V. V.
14/03/2020

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 13.03.2020

विषय:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत राँची महिला महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास मद में Auditorium at Arts Block के निर्माण हेतु रू0 6,24,90,000/- (छः करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 6,05,400/- (छः लाख पाँच हजार चार सौ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 425/बजट दिनांक 06.03.2020 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत राँची महिला महाविद्यालय के आधारभूत संरचना का विकास मद में Auditorium at Arts Block के निर्माण हेतु रू0 6,24,90,000/- (छः करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 6,05,400/- (छः लाख पाँच हजार चार सौ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की निम्नांकित शीर्ष :-

" मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता संख्या -8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकक्षण/वित्त (अंकक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निदेशक की गई राशि के अंकक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 425/बजट दिनांक 06.03.2020 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री दिगेश्वर तिवारी, अपर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-01/2016 (उ0शि0)/राँची, दिनांक-...../2020

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-01/2016 (उ0शि0) 427/945/राँची, दिनांक-13/03/2020

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची /लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित एवं श्री प्रियरंजन, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.03.20

(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu)

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-01/2016/427/BUDGET

दिनांक - 13-Mar-2020

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना B5 - विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628) Central Scheme : NA	94694	DRNEDN046 SRI DHARMRAJ MAHTO UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	605,400.00 रुपये छः लाख पाँच हजार चार सौ



605,400.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छः लाख पाँच हजार चार सौ

Sushant Gaurav
(SUSHANT GAURAV)

Shri U. K. Verma

24/6/18

पत्रांक-3/यो.1-13/2016 (उ0शि0) 185 / 902

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

F.O./e.e.D.C.

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,
निदेशक, उच्च शिक्षा
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 09.05.2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज, राँची के Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण हेतु राशि रू0 3,18,98,800/- (तीन करोड़ अठारह लाख अनठानवे हजार आठ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 162/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज, राँची के Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण हेतु राशि रू0 3,18,98,800/- (तीन करोड़ अठारह लाख अनठानवे हजार आठ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत होगा:-

"मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा।
(विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल सचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेगे।

820
119

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के अन्तर्गत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को चेक/बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 162/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-13/2016 (उ0शि0) 18.5.19 राँची, दिनांक-09.05.19

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-13/2016 (उ0शि0) 18.5.19 राँची, दिनांक-09.05.19

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है


दिनांक - 09-May-2

3/YO.1-13/2016/185/BUDGET

विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
S 21 220203796B50678	24380	DRNEDN046	20,000,000.00
2202 - सामान्य शिक्षा		SRI BHAIYA RAJNISH	रुपये दो करोड
03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा		RANJAN	
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना		UNDER	
B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु अनुदान		SECT.HIGHER	
06 - अनुदान		EDU.DIR.JHA.	
78 - ऐसी परियोजना के मूजन हेतु अनुदान			
State Scheme			



GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628)



20,000,000.00

(INESH PRASAD)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

Sm U.jc. Verma
24/6/18

पत्रांक-3/यो01-09/2016(उ0शि0).....186 / 972

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,
निदेशक, उच्च शिक्षा
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 09.05.2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत बी0 एन0 जालान कॉलेज, सिसई के परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए रू0 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 10,00,00,000/- (दस करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 160/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत बी0 एन0 जालान कॉलेज, सिसई के परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए रू0 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 10,00,00,000/- (दस करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

“मुख्य शीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत होगा।”
(विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।
7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत्यादेश संख्या 160/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो०1-09/2016(उ०शि०)...../ रॉची, दिनांक-...../

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो०1-09/2016(उ०शि०)...../ रॉची, दिनांक- 09.05.2019/

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educa

व वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

c.e.d.e./F.O.

पत्र संख्या - 3/YO.1-09/2016/186/BUDGET

दिनांक -

09-May-

17/5/19

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	24354	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	100,000,000.00 रुपये दस करोड




State Scheme :

GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(162B)

Central Scheme :

DEVELOPMENT(162B)



योग:

100,000,000.00

क्रमिक योग:

R-827
18/6/19

रुपये दस करोड

S. V. K. Verma
13/6/15

पत्रांक-3/यो०1-09/2016(उ०शि०) 160, अ०

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा
सरकार के सचिव।
उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में

महालेखाकार,
पो०-हिन्नु,
झारखण्ड, राँची।

F.O
12-6-2019

राँची दिनांक- 02.05.2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत बी० एन० जालान कॉलेज, सिसई के परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए ₹-15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में ₹० 10,00,00,000/- (दस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :-

1. स्वीकृत्यादेश संख्या 208/बजट दिनांक 20.11.2017
2. विमुक्ति आदेश संख्या 216/बजट दिनांक 30.11.2017

महाराज,

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के छात्रों को पर्याप्त आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष राज्य स्कीम मद में विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप शीर्ष- B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान के लिए लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद में ₹० 60,00,00,000/- (साठ करोड़ रूपये) मात्र का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत बी० एन० जालान कॉलेज, सिसई, गुमला के आधारभूत संरचना का विकास मद में परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक 475 (नि०) दिनांक 08.03.2017 द्वारा ₹० 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र के प्राक्कलन पर Estimate No. 40/TA/ JSBCCL/RU/2016-17 दिनांक 07.03.17 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप स्वीकृत्यादेश संख्या 208/बजट दिनांक 20.11.2017 द्वारा ₹० 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में विमुक्ति आदेश संख्या-216/बजट दिनांक 30.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रूपये) मात्र की विमुक्ति की गयी है।

5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माणाधीन बी० एन० जालान कॉलेज, सिसई के परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए ₹० 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में ₹० 10,00,00,000/- (दस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा।" (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

7. वित्त विभाग के पत्रांक-3520 दिनांक-11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-4151 दिनांक-18.12.2001 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. यह आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या-301 दिनांक 11.03.2015 के फडिका-9 में प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

9. उपरोक्त योजना पर योजना-सह-वित्त विभाग के ज्ञापक रा०यो०प्रा०-245/17 दिनांक 03.11.2017 द्वारा राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

804
119

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार डोरण्डा राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेंगे।

11. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार सहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पी0 एल0 खाता में अंतरित कर दी जायेगी।

12. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी -

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
208/बजट दिनांक 20.11.2017	3,00,00,000/-	2,69,74,771/-

13. स्वीकृत योजना की राशि की विमुक्ति एक मुश्त की जायेगी।

14. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी-

(क) स्वीकृत्यादेश संख्या 208/बजट दिनांक 20.11.2017 में अंकित निर्माण से संबंधित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

17. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री दिगेश्वर तिवारी, संयुक्त सचिव उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

19. वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या 81/बजट दिनांक 15.03.2019 एवं आवंटनादेश संख्या 95/बजट दिनांक 18.03.2019 द्वारा राशि की निकासी नहीं की जा सकी क्योंकि कोषागार ने तकनीकी कारणों से पारित विपत्र का XML Generate नहीं किया जा सका।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापाक-3/यो01-09/2016(उ0शि0)...../राँची, दिनांक-.....2019

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापाक-3/यो01-09/2016(उ0शि0) 16/09/2019 /राँची, दिनांक- 02/05/2019

प्रतिलिपि- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

JTC Form-4
[See Rule 45]
(Obverse)

Challan No.: Treasury.: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury			
By whom tendered		Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	FOR CONSTRUCTION OF B N JALAN COLLEGE SISAI GUMLA	100000000	844800120150102 02-Deansess Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in.
Sign					
*(in words)Rupees Ten Crore/- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.			

Received Payment

Date

Treasurer

Accountant

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

Sr. V.K. Verma
24/6/19

पत्रांक-3/यो.1-02/2019 (उ0शि0).....183 / 952

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,
निदेशक, उच्च शिक्षा
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

राँची, दिनांक : 09.05.2019

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु, रू० 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 164/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु रू० 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

"मुख्य शीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को चेक/बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 164/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-02/2019 (उ0शि0) 183/057 रॉची, दिनांक-09.05.19

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-02/2019 (उ0शि0) 183/057 रॉची, दिनांक-09.05.19

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /प्राचार्य, डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

क्रमांक - 3/YO.1-02/2019/183/BUDGET

दिनांक - 09-May-20

F.O./C.E.S.E.
17/6/19


क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा	24375	DRNEDN046	20,000,000.00

03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान
06 - अनुदान
78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान

SRI BHAIYA RAJNISH
RANJAN
UNDER
SECT.HIGHER
EDU.DIR.JHA.



State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE
Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)



योग:

20,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड

R-828
18/6/19

(DINESH PRASAD)

Dr. V. J. Verma
13/6/19

पत्रांक:-3/यो.1-02/2019 (उ0शि0) 164 / 052

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार,
पो0-हिनू,
झारखण्ड, राँची।

F.O

12.06.2019

राँची, दिनांक- 02.05.2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु रू0 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के छात्रों को पर्याप्त आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष राज्य स्कीम बजट से विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की जाती है।

2. राज्य सरकार द्वारा 11 अंगीभूत महाविद्यालयों को प्रिमियर संस्थान करने के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें से एक डोरण्डा महाविद्यालय, डोरण्डा राँची भी है। चिन्हित कॉलेजों को राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य प्रतिष्ठित संस्थान के सदृश्य विकसित करने हेतु Job oriented course, Computer Lab, Smart classes, e-library की सुविधा आधारभूत संरचना का छात्रों की संख्या के अनुरूप विकास एवं अत्याधुनिक सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराया जाना है।

3. राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए डी0पी0आर0 का निर्माण किया गया है, जिसमें Classroom Complex (G+3), Parking, Multipurpose Hall & Auditorium (G+2) के साथ परिसर का सौन्दर्यीकरण हेतु कार्य सम्मिलित है। उक्त योजना प्रस्ताव पर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक 3286 (नि0) दिनांक 12.12.2018 के Estimate No. 177/T.A/RU/JSBCCL/2018-19 द्वारा रू0 10,98,70,500/- (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप स्वीकृति/देश संख्या 37/बजट दिनांक 01.03.2019 द्वारा रू0 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए रू0 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान के लिए लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद में रू0 60,00,00,000/- (साठ करोड़ रुपये) मात्र का बजट उपबंध प्राप्त है।

6. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :- "मुख्य शीर्ष -2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

7. वित्त विभाग के पत्रांक-3520, दिनांक-11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में यह स्वीकृति/देश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी:-

स्वीकृति/देश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	-	-

803

9 वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापाक-759 दिनांक-20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो Book Transfer द्वारा अथवा राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल सचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेगे।

11. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

12. स्वीकृत योजना की राशि की विमुक्ति एक मुश्त की जायेगी।

13. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी-

(क) स्वीकृत्यादेश संख्या 37/बजट दिनांक 01.03.2019 में अंकित शर्तों एवं बंधेजो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ख) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री दिगेश्वर तिवारी, संयुक्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

18. वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या 37/बजट दिनांक 01.03.2019 एवं आवंटनादेश संख्या 40/बजट दिनांक 06.03.2019 द्वारा राशि की निकासी नहीं की जा सकी क्योंकि कोषागार में तकनीकी कारणों से पारित विपत्र का XML Generate नहीं किया जा सका।

विश्वासभाजन,

₹0/-

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापाक: 3/यो.1-02/2019 (उ0शि0) राँची, दिनांक 2019
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

₹0/-

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापाक: 3/यो.1-02/2019 (उ0शि0) 164/952 राँची, दिनांक 02/05/2019

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची /अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा)

सरकार के सचिव।

JTC Form-4
[See Rule 45]
(Obverse)

Challan No.: **Treasury.:** **Ranchi**

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Handwritten notes: 08, 09/07/11, B/TMC

Challan of cash into the State Bank of India at

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	for construction of doranda college	20000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in.
Sign					
*(in words)Rupees Two Crore- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment **Date**

Treasurer **Accountant** **Treasury Officer**
Agent or Manager

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

Dr. U. K. Verma
24/6/19

पत्रांक-1/यो.1-01/2016 (उ0शि0) 188 / 950

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,
निदेशक, उच्च शिक्षा
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 09.05.2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा में स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के साज-सज्जा हेतु फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों के अधिष्ठापन के लिए कुल रू0 4,10,89,000/- (चार करोड़ दस लाख नवासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में रू0 3,00,00,000/- (तीन करोड़) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 163/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा में स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के साज-सज्जा हेतु फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों के अधिष्ठापन के लिए कुल रू0 4,10,89,000/- (चार करोड़ दस लाख नवासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में रू0 3,00,00,000/- (तीन करोड़) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत होगा:-

“मुख्य शीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B7- पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेन्टर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई.सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड-21S220203796B70678) (स्कीम कोड- 1630)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल सचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेगे।

93 /

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 163/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/-

(दिनेश प्रसाद)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-01/2016 (उ0शि0)...../ राँची, दिनांक-...../
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(दिनेश प्रसाद)

ज्ञापांक-1/यो.1-01/2016 (उ0शि0)...../ राँची, दिनांक- 03.05.2019
प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/प्राचार्य, डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

188/बजट
(दिनेश प्रसाद)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

7. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के "मुख्य शीष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B7-पूरतकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेन्टर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई.सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड-21S220203796B70678) (स्कीम कोड- 1630)

8. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, झोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा कुल सचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेंगे।

10. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

11. स्वीकृत योजना की राशि की विमुक्ति एक मुश्त की जायेगी।

12. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है -

- c) सामग्री/उपस्करों का क्व खुली निविदा अथवा ई-टेंडर के माध्यम से किया जाएगा।
- b) विमुक्त राशि का विकलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
- c) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को तत्समय उपलब्ध कराया जाय।

15. महालेखाकार का कार्यालय, अकंक्षण/वित्त (अकंक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अकंक्षण का अधिकार होगा।

16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री दिगेश्वर तिवारी, संयुक्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहरताक्षर किया जायेगा।

18. वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस हेतु निर्गत स्वीकृति आदेश संख्या 53/बजट दिनांक 08.03.2019 एवं आवटनावेश संख्या 75/बजट दिनांक 12.03.2019 द्वारा राशि की निकासी नहीं की जा सकी क्योंकि कोषागार में तकनीकी कारणों से पारित विपत्र का XMI Generate नहीं किया जा सका।

विश्वासभाजन,
ह0/-

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 1/यो.1-01/2016 (उ0शि0)..... राँची, दिनांक.....2019

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, झोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: 1/यो.1-01/2016 (उ0शि0)..... राँची, दिनांक.....2019

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव, के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची /अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

Sr U.K.V. -
13/6/19

पत्रांक-1/यो.1-01/2016 (उ0शि0) 163, अण्ड
झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव।
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में

महालेखाकार,
पी0-हिन्,ू
झारखण्ड, राँची।

F.O
12.6.2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा में स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के साज-सज्जा हेतु फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों के अधिष्ठापन के लिए कुल ₹0 4,10,89,000/- (चार करोड़ दस लाख नवासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹0 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

महाशय,

विश्वविद्यालय एवं उसके अधीन अमीम महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास मद में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ स्वीकृत की जाती हैं, जिससे महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध किया जा सके। इस हेतु राज्य स्कीम मद से राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति की जाती है, जिसका कार्यान्वयन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर से किया जाता है।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेन्टर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई.सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान के लिए लघु शीर्ष-102- विश्वविद्यालयों को सहायता मद में ₹0-5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये) मात्र तथा लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना मद में ₹0 5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹0 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) मात्र का बजट कर्षांकित है।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत्यादेश संख्या 506 दिनांक 25.02.2016 द्वारा डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा में कक्षा भवन एवं पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त निर्मित भवन के उपयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा योजना प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित योजना प्रस्ताव एवं तदनुसार प्रदान की जा रही स्वीकृत राशि का विवरण निम्नवत् है -

Sl.No.	Particular	Estimated Amount	Approved Amount
1	Furnishing of Computer Lab.	15646800=00	15646800=00
2	Furnishing of Language Lab.	7183840=00	7183840=00
3	Furnishing of Library	3620974=00	3620974=00
4	Furnishing of Library-Cum-Reading Room	2844220=00	2844220=00
5	Furnishing of Smart Class Room	14742259=00	11793807=00
	Total:-	44038093=00	41089641=00
			Say Rs. 41089000=00

4. विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा में स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के साज-सज्जा हेतु फर्नीचर एवं अन्य उपस्करों के अधिष्ठापन के लिए कुल ₹0 4,10,89,000/- (चार करोड़ दस लाख नवासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹0 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. वित्त विभाग के पत्रांक-3520 दिनांक 11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
-	-	-

R- 502
12/6/19

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ


2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

संख्या -

1/YO.1-01/2016/188/BUDGET

दिनांक -

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B70678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B7 - पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर, उद्यमशीलता विकास केंद्रों की स्थापना तथा आई०सी०टी० इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता 06 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	24385	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	30,000,00 रुपये तीन



State Scheme :

GRANT-IN-AID TO UNIVERSITIES FOR LIBRARY, LABORATORY, COMPUTER CENTERS,
CENTRAL SCHEME :
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT CENTRE & ICT INFRASTRUCTURE(1630)

योग:

30,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड

(DINESH PRASAD)



E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand
Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)
Valid Up To :- 26/06/2019
GRN:-1901390991



Remitter's Copy of Dept

Date:- 17/06/2019 14:31:41

Receiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

District:- Ranchi
Year:- 17/06/2019

Deposit Treasury:- Ranchi
to :- 17/06/2019

Head(8448)	Head Details	Amount ₹
844800120150101	Ranchi University, Ranchi	30000000.00

Net Payable Amount:-
Three Crore Rupees And Zero Paise Only ₹ 30000000.00

Challan No and Date: 98 17/06/2019
Identity Proof (TAN Number) - RCHR00146G
PAN No.-

Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI
Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
RANCHI, RANCHI. 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

CHEQUE/IDD :- FOR USE IN TREASURY LINK BANK
141325

Scroll No and (Date) :-
Bank Name :- SBI, RANCHI, COURT COMPOUND, RANCHI

Note: Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

Handwritten signature and date: 17/6/19

Signature & Seal of Bank

Use separate page
Cut from here

Sr. V. K. K. me
24/6/18

पत्रांक-3/यो01-10/2016 (उ0श10) (खण्ड-1) 187/ अंक

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

✓
Fo/ce.de.

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,
निदेशक, उच्च शिक्षा
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

01/6/18

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 09.05.2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत के0 ओ0 कॉलेज, गुमला में निर्माणाधीन बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 159/बजट दिनांक 02.05.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत के0 ओ0 कॉलेज, गुमला में निर्माणाधीन बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

"मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा।

(विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

004/18

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।
7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत्यादेश संख्या 159/बजट दिनांक 02.05.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-10/2016 (उ0शि0) (खण्ड-1) / राँची, दिनांक-...../
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार
पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-10/2016 (उ0शि0) (खण्ड-1)..... / राँची, दिनांक- 09.05.2019/
प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन
निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची
विश्वविद्यालय, राँची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-10/2016/187/BUDGET

दिनांक - 09-May-

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना R5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)	24372	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	60,000,000.00 रुपये छः करोड



योग:

60,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड

(Handwritten signature)

JTC Form-4
[See Rule 45]
(Obverse)

Challan No.: **Treasury.:** **Ranchi**

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

B/T No - 13
18/9/19

Challan of cash into the State Bank of India at

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	construction of multi purpose exam hall of K.O. Co.	60000000	844800120150102 2-1-Permiss Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in.
Sign					
*(in words) Rupees Six Crore/- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment

Date

Treasurer

18/9/19
Accountant

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

San U.K. Veng
25/9/15

पत्रांक :- 5/यो.1-45/2015 (उ०शि०) 259/0612

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची।

C. S. / F. O.

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

24.7.15

विषय:-

राँची, दिनांक 03/07/2019
वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत लोहरदगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू० 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठारह लाख एकतीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू० 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 256/बजट दिनांक 02.07.2019 तथा ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत लोहरदगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू० 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठारह लाख एकतीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू० 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत होगा। विपत्र कोड- 21S220203796BA0678 (स्कीम कोड-1633)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करावेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करावेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी० एल० खाता में राशि अंतरित की जायेगी।

5. स्वीकृत्यादेश संख्या 256/बजट दिनांक 02.07.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,


दिनेश प्रसाद

(निदेशक, उच्च शिक्षा)

25/10/15
12/19

202
11/10

ज्ञापांक-5/यो.1-45/2015 (उ0शि0) ^{259/942} /रॉची, दिनांक- ^{03/07} /2019
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार
पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(दिनेश प्रसाद)


निदेशक, उच्च शिक्षा।


ज्ञापांक-5/यो.1-45/2015 (उ0शि0) ^{259/942} /रॉची, दिनांक- ^{03/07} /2019
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन
निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची
विश्वविद्यालय, रॉची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।


(संजीव कु0 ठाकुर)
सहायक प्र0 पदाधिकारी


(अजय कु0 सिंह)
अवर सचिव


(दिगेश्वर तिवारी)
अपर सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5/YO.1-45/2015/266/BUDGET

दिनांक - 05-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपरोक्तना BA - नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अन्दादान 06 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के मूलत हेतु अनुदान State Scheme	39162	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	60,000,000.00 रुपये छः करोड
	State Scheme : Central Scheme :		GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND UNIVERSITIES(1633)	

60,000,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड


(DINESH PRASAD)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

Run Date: 5/7/2019

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.:

Treasury: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

B/T No - 4
3/10/19

Challan of cash into the State Bank of India at

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION OF WORK OF LOHARDAGA	60000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money
Sign					Registrar Ranchi University, Ranchi
*(in words)Rupees Six Crore/- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment

Treasurer

[Signature]
3/10/19
Accountant

Date

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

Sr. U.C. Verma
25/7/19

पत्रांक :- 1/यो.1-05/2016 (उ0शि0) 255 / बजट

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

RC
17/7/19

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची।

F.O
18.7.19

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 02/07/2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत सिमडेगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठ्ठारह लाख एकतीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध तृतीय किस्त के रूप में रू0 2,36,77,000/- (दो करोड़ छत्तीस लाख सतहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 210/बजट दिनांक 10.06.2019 तथा ऑनलाईन आवंटनादेश (छोया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत सिमडेगा जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठ्ठारह लाख एकतीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध तृतीय किस्त के रूप में रू0 2,36,77,000/- (दो करोड़ छत्तीस लाख सतहत्तर हजार रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत होगा। विपत्र कोड- 21S220203796BA0678 (स्कीम कोड-1633)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता में राशि अंतरित की जायेगी।

5. स्वीकृत्यादेश संख्या 210/बजट दिनांक 10.06.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभान,
ह0/-

968

009

ज्ञापांक-1/यो.1-05/2016 (उ0शि0)/रॉची, दिनांक-/2019
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार
पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-05/2016 (उ0शि0)/रॉची, दिनांक-/2019
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन
निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची
विश्वविद्यालय, रॉची /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च
शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

चाहू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 1/YO.1-05/2016/255/BUDGET

दिनांक - 02-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एकलेश नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपगोजना BA - नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता प्रदान 06 - अनुदान 78 - पूर्वी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	38994	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	23,677,000.00 रुपये दो करोड छत्तीस लाख सित्थेत्तर हजार
	State Scheme : Central Scheme :	GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND UNIVERSITIES(1533)		

23,677,000.00

रुपये दो करोड छत्तीस लाख सित्थेत्तर हजार

(DINESH PRASAD)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION

Run Date: 2/7/2019

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.:

Treasury.: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at

To be filled by the Remitter			To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	FOR CONSTRUCTION WORK OF SIMDEGA DISTRICT	23677000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid
Sign					
*(in words)Rupees Two Crore Thirty Six Lacs Seventy Seven Thousand/- Only			*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment

Date

Treasurer

Accountant

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.

E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept. Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)




Remitter's Copy of Dept

Valid Up To :- 04/10/2019

Date :- 25/09/2019 15:59:19

GRN:-1902313484



RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

Receiving Office:-

Deposit Treasury:- Ranchi

District:- Ranchi

to :- 25/09/2019

Year:- 25/09/2019

Amount ₹

Head(8448)

Head Details

844800120150101

23677000.00

Ranchi University, Ranchi

25.9.19

Net Payable Amount:-

23677000.00

Two Crore Thirty Six Lakh Seventy Seven Thousand Rupees And Zero

Paisa Only

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date:

369 25/09/2019

Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G

PAN No:-

RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Remitter Name:-

NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
RANCHI RANCHI 834001

Address :-

Remarks :-

Treasury Officer Signature is not required.

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

143879

CHEQUE/DD :-

Scroll No and (Date) :-

Bank Name :- SBI, RANCHI, COURT COMPOUND, RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping


Signature & Seal of Bank

Use seprate page Cut from here

E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept. Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)



Remitter's Copy

Valid Up To :- 04/10/2019

Date :- 25/09/2019 15:59:19

GRN:-1902313484



RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

Receiving Office:-

Deposit Treasury:- Ranchi

District :- Ranchi

to :- 25/09/2019

Year -25/09/2019

Amount ₹

Head(8448)

Head Details

844800120150101

23677000.00

Ranchi University, Ranchi

25.9.19

Net Payable Amount:-

23677000.00

Two Crore Thirty Six Lakh Seventy Seven Thousand Rupees And Zero Paisa Only

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date:

369 25/09/2019

Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G

PAN No:-

RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Remitter Name:-

NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
RANCHI RANCHI 834001

Address :-

Remarks :-

Treasury Officer Signature is not required.

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

143879

CHEQUE/DD :-

Scroll No and (Date) :-

Bank Name :- SBI, RANCHI, COURT COMPOUND, RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping

Signature & Seal of Bank

RC
16/11/19

San V. J. Sharma
20/11/19

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

362/902

प्रेषक, निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 07/11/2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत गुमला जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रु० 9,18,31,70/- (नौ करोड़ अठारह लाख एकतीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु० 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 357/बजट दिनांक 25.10.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत गुमला जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु रु० 9,18,31,000/- (नौ करोड़ अठारह लाख एकतीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु० 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की निम्नांकित शीर्ष :-

" मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड-21S220203796BA0678 (स्कीम कोड-1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पी0 एल0 खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 357/बजट दिनांक 25.10.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री दिगेशवर तिवारी, अपर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासमूर्तजन,

07.11.19
(सुजात गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-5/यो01-33/2015 (उ0शि0) 362/902/राँची, दिनांक- 07/11/2019

प्रतिनिधि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची /लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.11.19
(सुजात गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-340
11/11/19



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दशरि गार बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-33/2015/362/BUDGET

दिनांक - 07-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 79G - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना BA - नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूर्वी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	72122	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	60,000,000.00 रुपये छः करोड



State Scheme : GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND
Central Scheme : UNIVERSITIES(1633)

योग:

60,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड

Inshant Gaurav

JTC Form-1
[See Rule 45]
(Obverse)

1/120-17
24/2/2020

Challan No.:

Treasury: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at

To be filled by the Remitter				To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury		
By whom tendered		Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	DR. AMAR KUMAR CHOUHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	CONSTRUCTION OF WOMEN'S COLLEGE GUMIA	60000000	844800120150102 02-Deamess Allowance	Signature and full designation of the officer ordering Registrar Ranchi University, Ranchi
Sign					
*(in words) Rupees Six Crore/- Only				*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment

24/2/2020

Date

Treasurer

Accountant
09.12.2019

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1: In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2: Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3: In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.



E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)




Valid Up To :- 01/12/2019

Remitter's Copy of Dept

GRN:-1902945547

Date:- 22/11/2019 11:20:00



RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

Receiving Office:-

RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

District:- Ranchi

Deposit Treasury:- Ranchi

Year:- 22/11/2019

to :- 22/11/2019

Head(8448)

Amount ₹

Head Details

844800120150101

60000000.00

Ranchi University, Ranchi

Net Payable Amount:-
Six Crore Rupees And Zero Paise Only

60000000.00

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date:

779 22/11/2019

Identity Proof(TAN Number) :- RCHR00146G

PAN No:-

NA

Remitter Name:-

RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Address :-

NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :-

Treasury Officer Signature is not required.

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

CHEQUE/DD :-

145869

Scroll No and (Date) :-

SBBI, RANCHI, COURT COMPOUND, RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

Signature & Seal of Bank



E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)




Valid Up To :- 01/12/2019

Remitter's Copy

GRN:-1902945547

Date:- 22/11/2019 11:20:00



RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

Receiving Office :-

RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

District :- Ranchi

Deposit Treasury:- Ranchi

Year:- 22/11/2019

to :- 22/11/2019

Head(8448)

Amount ₹

Head Details

844800120150101

60000000.00

Ranchi University, Ranchi

Net Payable Amount:-
Six Crore Rupees And Zero Paise Only

60000000.00

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date:

779 22/11/2019

Identity Proof(TAN Number) :- RCHR00146G

PAN No:-

NA

Remitter Name:-

RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Address :-

NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :-

Treasury Officer Signature is not required.

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

CHEQUE/DD :-

145869

Scroll No and (Date) :-

SBBI, RANCHI, COURT COMPOUND, RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

Signature & Seal of Bank

Use seprate page , Cut from here

Com. U.K. Vemf
25/9/19

पत्रांक :- 1/यो.1-25/2016 (उ०शि०) 260/बजट/
झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,
निदेशक, उच्च शिक्षा,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 03/07/2019

विषय:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू० 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू० 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

c.c.-D.C./F.O

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 212/बजट दिनांक 10.06.2019 तथा ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू० 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू० 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

✓
25/9/19

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत होगा। विपत्र कोड- 21S220203796BA0678 (स्कीम कोड-1633)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी० एल० खाता में राशि अंतरित की जायेगी।

5. स्वीकृत्यादेश संख्या 212/बजट दिनांक 10.06.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,


(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-203
25/9/19


RC
23/7/19

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0) ^{260/942} /राँची, दिनांक- ^{03/07/2019}
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार
पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(दिनेश प्रसाद)


निदेशक, उच्च शिक्षा।


ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0) ^{260/942} /राँची, दिनांक- ^{03/07/2019}
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन
निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची
विश्वविद्यालय, राँची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।


(संजीव कु0 ठाकुर)
सहायक प्र0 पदाधिकारी


(अजय कु0 सिंह)
अवर सचिव


(दिनेश्वर तिवारी)
अपर सचिव

JTC Form-4

[See Rule 45]

(Obverse)

Challan No.:

Treasury.: Ranchi

Major Head	8448-Deposits of Local Funds	Treasury Code	RNC
Sub Major Head	00-Deposits of Local Funds	DDO Code	RNCBLD111
Minor Head	120-Other Funds	Bank Code	0000167
Sub Head	15-		

Challan of cash into the State Bank of India at

To be filled by the Remitter		To be filled in by the Departmental Officer of the Treasury				
By whom tendered		Name (or designation) and address of the person on whose behalf maoney is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts	Head of Account	Order of the Bank
Name	DR AMAR KUMAR CHAUDHARY (RNCEDN462) REGISTRAR RANCHI UNIVERSITY	FOR CONSTRUCTION WORK OF DEGREE COLLEGE GHAGRA	50000000	844800120150102 02-Dearness Allowance	Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in. 30/9/19
Sign					
*(in words)Rupees Five Crore/- Only				*To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.		

Received Payment

30/9/19

.....

Date

.....

Treasurer

Accountant

Treasury Officer

Agent or Manager

Note 1:In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs.100,000/- do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer.

Note 2:Particulars of money tendered should be given on the reverse.

Note 3:In cases where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on the receipt of Bank's Daily Sheet.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

आवंटन आदेश 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 1/YO.1-25/2016/263/BUDGET

दिनांक - 05-Jul-2


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 736 - सार्वजनिक क्षेत्र उपयोजना BA नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अध्यापन संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 08 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सुकन हेतु अनुदान State Scheme	39167	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	50,000,000.00 रुपये पाँच करोड
	State Scheme : Central Scheme :		GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND UNIVERSITIES(1633)	

50,000,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये पाँच करोड


(DINESH PRASAD)

DIRECTOR, HIGHER EDUCATION



E-CHALLAN


Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand
Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)



Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)

Valid Up To :- 04/10/2019
Date :- 25/09/2019 15:40:51

GRN:-1902313166



Receiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY
Remitter's Copy of Dept

District :- Ranchi
Year :- 25/09/2019
Deposit Treasury :- Ranchi
to :- 25/09/2019

Head(8448) Amount ₹

Head Details 844800120150101 50000000.00

Ranchi University, Ranchi

Net Payable Amount:-
Five Crore Rupees And Zero Paise Only ₹ 50000000.00

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date: 366 25/09/2019

Identity Proof(TAN Number) - RCHRR00146G

PAN No:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

CHEQUE/DD :- 143875

Scroll No and (Date) :-

Bank Name :- SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI

Note :- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

Signature & Seal of Bank

25/09/19

Cut from here

Use seprate page



E-CHALLAN


Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand
Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)



Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)

Valid Up To :- 04/10/2019
Date :- 25/09/2019 15:40:51

GRN:-1902313166



Receiving Office :- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY
Remitter's Copy

District :- Ranchi
Year :- 25/09/2019
Deposit Treasury :- Ranchi
to :- 25/09/2019

Head(8448) Amount ₹

Head Details 844800120150101 50000000.00

Ranchi University, Ranchi

Net Payable Amount:-
Five Crore Rupees And Zero Paise Only ₹ 50000000.00

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date: 366 25/09/2019

Identity Proof(TAN Number) - RCHRR00146G

PAN No:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

CHEQUE/DD :- 143875

Scroll No and (Date) :-

Bank Name :- SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI

Note :- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

Signature & Seal of Bank

25/09/19



E-CHALLAN


Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)



Valid Up To :- 15/05/2020 Date: 06/05/2020 13:05:55

GRN:-2000970748



RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

Receiving Office:-

Deposit Treasury:- Ranchi

District:- Ranchi

to :- 06/05/2020

Year:- 06/05/2020

Head(8448) 844800120150101 Amount ₹ 605400.00

Head Details 605400.00

Ranchi University, Ranchi

Net Payable Amount:- **Ranchi University, Ranchi** 605400.00
Six Lakh Five Thousand Four Hundred Rupees And Zero Paise Only

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date: 65 06/05/2020

Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G

PAN No:- NA

Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

CHEQUE/DD :- 148017

Scroll No and (Date) :- *Scroll 11(25) 11/5/20*

Bank Name :- SBI, RANCHI, COURT COMPOUND, RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

[Handwritten Signature]

Signature & Seal of Bank

Use seprate page Cut from here



E-CHALLAN

Planning Cum Finance Dept, Government of Jharkhand

Receiving Dept: Higher, Technical Education and Skill Development
Department (Higher Education Division)



Valid Up To :- 15/05/2020 Date: 06/05/2020 13:05:55

GRN:-2000970748



RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY

Receiving Office :-

Deposit Treasury:- Ranchi

District :- Ranchi

to :- 06/05/2020

Year:-06/05/2020

Head(8448) 844800120150101 Amount ₹ 605400.00

Head Details 605400.00

Ranchi University, Ranchi

Net Payable Amount:- **Ranchi University, Ranchi** 605400.00
Six Lakh Five Thousand Four Hundred Rupees And Zero Paise Only

For Treasury Use Only(Ranchi)

Challan No and Date: 65 06/05/2020

Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G

PAN No:- NA

Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI

Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
RANCHI RANCHI 834001

Remarks :- Treasury Officer Signature is not required.

FOR USE IN TREASURY LINK BANK

CHEQUE/DD :- 148017

Scroll No and (Date) :-

Bank Name :- SBI, RANCHI, COURT COMPOUND, RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.

[Handwritten Signature]

Signature & Seal of Bank

S. V. K. V. V.
30/11/19
20/11/19

पत्रांक :- 5/यो01-33/2015 (उ0शि0) 361/अप
झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

361/अप

RC
16/11/19

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 07/11/2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत गुमला जिला में महिला महाविद्यालय में जलापूर्ति पाईप लाईन हेतु रू0 76,67,824/- (छिहत्तर लाख सड़सठ हजार आठ सौ चौबीस रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 358/बजट दिनांक 25.10.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत गुमला जिला में महिला महाविद्यालय में जलापूर्ति पाईप लाईन हेतु रू0 76,67,824/- (छिहत्तर लाख सड़सठ हजार आठ सौ चौबीस रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 की निम्नांकित शीर्ष :-

" मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड-21S220203796BA0678 (स्कीम कोड-1633) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला को राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 358/बजट दिनांक 25.10.2019 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर श्री दिगेशवर तिवारी, अपर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

07.11.19
(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-5/यो01-33/2015 (उ0शि0) 361/अप/राँची, दिनांक- 07/11/2019

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गुमला/ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव, कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची /लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.11.19
(सुशांत गौरव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-341
20/11/19

सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Edu)

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।


पत्र संख्या - 3/YO.1-33/2015/361/BUDGET

दिनांक - 07-Nov-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BA0678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना BA - नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	72120	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	7,667,824.00 रुपये छहत्तर लाख सड़सठ हजार आठ सौ चौइस

State Scheme :
Central Scheme :

GRANT IN AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF NEW COLLEGES AND
UNIVERSITIES(1633)



योग:

7,667,824.00

क्रमिक योग:

रुपये छहत्तर लाख सड़सठ हजार आठ सौ चौइस

Sushant Gaurav
(SUSHANT GAURAV)



GRN:-1902948107
 Date:- 22/11/2019 13:13:13

Receiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY
 District:- Ranchi
 Year:- 22/11/2019

Deposit Treasury:- Ranchi
 to:- 22/11/2019

Head(8448) Amount ₹
 Head Details 844800120150101
 Ranchi University, Ranchi 7667824.00

Net Payable Amount:-
 Seventy Six Lakh Sixty Seven Thousand Eight Hundred Twenty Four
 Rupees And Zero Paise Only ₹ 7667824.00

Challan No and Date: 787 22/11/2019
 Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G
 PAN No:- NA
 Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI
 Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
 RANCHI RANCHI 834001

Remarks :-
 For Treasury Use Only(Ranchi)
 Treasury Officer Signature is not required.

CHEQUE/DD :- 145868
 Scroll No and (Date) :-
 Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.
 Signature & Seal of Bank



GRN:-1902948107
 Date:- 22/11/2019 13:13:13

Receiving Office:- RNCEDN462-REGISTRAR-RANCHI UNIVERSITY
 District:- Ranchi
 Year:- 22/11/2019

Deposit Treasury:- Ranchi
 to:- 22/11/2019

Head(8448) Amount ₹
 Head Details 844800120150101
 Ranchi University, Ranchi 7667824.00

Net Payable Amount:-
 Seventy Six Lakh Sixty Seven Thousand Eight Hundred Twenty Four Rupees And Zero
 Rupees And Zero Paise Only ₹ 7667824.00

Challan No and Date: 787 22/11/2019
 Identity Proof(TAN Number) - RCHR00146G
 PAN No:- NA
 Remitter Name:- RANCHI UNIVERSITY RANCHI
 Address :- NEAR SHAHID CHOWK, MAIN ROAD,
 RANCHI RANCHI 834001

Remarks :-
 For Treasury Use Only(Ranchi)
 Treasury Officer Signature is not required.

CHEQUE/DD :- 145868
 Scroll No and (Date) :-
 Bank Name :-SBI,RANCHI,COURT COMPOUND,RANCHI

Note:- Bank Official are requested to update the receipt Online before Stamping.
 Signature & Seal of Bank

Use seprate page Cut from here

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

212/902

R/L
1-7-19

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची।

F.o/c.e.d.e.

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-हिनू,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 10-06-2019

विषय:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-

1. स्वीकृत्यादेश संख्या 455 दिनांक 27.02.2017
2. विमुक्ति आदेश संख्या 537 दिनांक 03.03.2017

महाशय,

झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृहत्तर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Gross Enrollment Ratio (GER) के निर्धारित लक्ष्य (32%) की प्राप्ति हेतु एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है, में चरणबद्ध तरीके से डिग्री स्तरीय महाविद्यालय के स्थापना की घोषणा की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के 07 विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए विभागीय संलेख ज्ञापांक 330 दिनांक 11.02.2017 के प्रस्ताव पर मंत्रिरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त 07 विधानसभा क्षेत्रों में टुण्डी भी सम्मिलित है।

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु लघुशीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 107.00 करोड़ (एक सौ सात करोड़ रुपये) मात्र एवं लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 107.00 करोड़ (एक सौ सात करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल रू0 214.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

5. राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है-

क्र0	स्थान का नाम	जिला का नाम	प्रशासनिक रूप से स्वीकृत राशि	वर्ष 17-18 में विमुक्त की गयी राशि	वर्ष 19-20 में विमुक्त की जाने वाली राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	डिग्री कॉलेज, तोरपा	राँची	157699600	60000000	50000000	47699600

6. कांडिका-5 के स्तम्भ-6 में अंकित राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-BA- नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान। विपत्र कोड- 21S220203796BA0678 (स्कीम कोड-1633)

7. वित्त विभाग के पत्रांक-3520, दिनांक 11.12.07 में प्रसंगाधीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश विभाग को प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

891

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
455 दिनांक 27.02.2017	60000000 / -	55153886 / -

9. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चलान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

11. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

12. स्वीकृत्यादेश संख्या 455 दिनांक 27.02.2017 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र श्री दिगेश्वर तिवारी, संयुक्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभान,

ह0/-

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0)/राँची, दिनांक-/2019
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0) 212/9912 /राँची, दिनांक- 10/06/2019
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।